प्रेस नोट
दिनांक 12.05.2025

थाना को0 नगर पुलिस द्वारा छिनैती करने के 03 आरोपी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से 01 अदद मोबाइल फोन व घटना में प्रयुक्त 01 अदद मोटरसाईकिल बरामद–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री आनन्द कुमार राय के नेतृत्व में थाना को0 नगर पुलिस द्वारा छिनैती करने के 03 आरोपी अभियुक्तों–01. अंकित पाण्डेय पुत्र शेषनाथ पाण्डेय, 02. संजय पाण्डेय पुत्र हरिनारायण पाण्डेय, 03. सुधीर चौबे पुत्र सुरेश बहादुर चौबे निवासीगण मोकलपुर थाना को0 नगर जनपद गोण्डा को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से छिनैती का 01 अदद मोबाइल फोन व घटना में प्रयुक्त 01 अदद मोटरसाईकिल बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 11 मई 2025 को समय लगभग 11:05 बजे, थाना कोतवाली नगर क्षेत्रान्तर्गत बुधई पुरवा निवासी महिला वंदना पत्नी मुकेश अपने घर के दरवाजे पर टहल रही थीं। इसी दौरान मोटरसाइकिल सवार तीन अज्ञात व्यक्तियों द्वारा महिला से मोबाइल फोन छीन लिया गया। महिला के शोर मचाने पर थाना कोतवाली नगर की गश्त कर रही पुलिस टीम ने तत्परता दिखाते हुए तीनों अभियुक्तों को तिवारी बाजार ब्रह्म बाबा स्थान से गिरफ्तार कर लिया। अभियुक्तों के कब्जे से छीना गया एक मोबाइल फोन तथा घटना में प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल बरामद की गई है। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए उन्हें माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण–

01. अंकित पाण्डेय पुत्र शेषनाथ पाण्डेय नि0 मोकलपुर थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।
02. संजय पाण्डेय पुत्र हरिनारायण पाण्डेय नि0 मोकलपुर थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।
03. सुधीर चौबे पुत्र सुरेश बहादुर चौबे नि0 मोकलपुर थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–372/25, धारा 309(4),317 बीएनएस थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

बरामदगी–

01. 01 अदद छिनैती का मोबाइल फोन।
02. घटना में प्रयुक्त 01 अदद मोटरसाईकिल।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

01. उ0नि0 दिनेश राय।
02. हे0का0 अशोक कुमार यादव।
03. हे0का0 सुरेश सिंह।
04. हे0का0 हरेन्द्र।
05. का0 हरिश्चन्द्र राणा।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 12.05.2025

थाना को0 देहात पुलिस द्वारा जानलेवा हमला करने के 02 आरोपी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार–

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री आनन्द कुमार राय के नेतृत्व में थाना को0 देहात पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0स0–512/24, धारा 109,115(2),352,351(3) बीएनएस से सम्बन्धित 02 वांछित अभियुक्तों–01. रक्षाराम वर्मा पुत्र रामधीरज, 02. लवकुश वर्मा पुत्र सन्तराम वर्मा को महादेवा मोड़ के पास से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के ग्राम मलारी खदरहा निवासी वादी शिवमूरत वर्मा पुत्र रोशनलाल वर्मा ने दिनांक 03.12.2024 को थाना कोतवाली देहात में एक लिखित तहरीर दी गयी। तहरीर में वादी ने बताया कि नाली के विवाद को लेकर विपक्षीगणों ने उनके पिता और चाचा पर लाठी, डंडा और सरिया से जानलेवा हमला किया, जिससे उसके पिता को गंभीर चोटें आयी है। वादी की शिकायत पर थाना कोतवाली देहात में संबंधित धाराओं के अभियोग पंजीकृत किया गया था। प्रकरण की विवेचना के क्रम में आज दिनांक 12.05.2025 को थाना को0 देहात पुलिस द्वारा मामले में दोषी पाए गए अभियुक्तगण 01. रक्षाराम वर्मा पुत्र रामधीरज एवं 02. लवकुश वर्मा पुत्र सन्तराम वर्मा को महादेवा मोड़ के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगणों के विरूद्ध थाना को0 देहात पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण–

01. रक्षाराम वर्मा पुत्र रामधीरज वर्मा नि0 ग्राम खदरहा मलारी थाना को0 देहात जनपद गोण्डा।
02. लवकुश वर्मा पुत्र सन्तराम वर्मा नि0 ग्राम खदरहा मलारी थाना को0 देहात जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0स0–512/24, धारा 109,115(2),352,351(3) बीएनएस थाना को0 देहात जनपद गोण्डा।

गिरफ्तारकर्ता टीम–

01. उ0नि0 रामप्रकाश चन्द्र।
02. उ0नि0 सुशील कुमार पाण्डेय।
03. का0 नरेन्द्र यादव।
04. का0 विपिन बिहारी पटेल।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 12.05.2025

ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत प्रभावी पैरवी से बलवा करते हुए मारपीट करने के 11 आरोपी अभियुक्तों को हुई 03–03 वर्ष कारावास व 19,000–12,000/– के अर्थदण्ड की सजा–

घटना का संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 15.10.2017 को थाना इटियाथोक क्षेत्रान्तर्गत ग्राम हरदोपट्टी में दो पक्षों के मध्य आबादी की जमीन में दीवार बनाने की बात को लेकर बलवा करते हुए मार पीट की घटना घटित हुई थी। जिसमें दोनो पक्षों के लोग घायल हो गए थे। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर दोनो पक्षों के मध्य सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा दोनों पक्षों के 11 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेला भेजा गया था।

दोषसिद्धि का विवरण–

श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ के आदेश के क्रम एवं श्रीमान् पुलिस अधीक्षक गोण्डा के निर्देशन में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है जिसके क्रम मे थाना को0 कर्नलगंज में मारपीट के सम्बन्ध में पंजीकृत अभियोगों मे माननीय न्यायालय/पीठासीन अधिकारी श्री राजेश कुमार तृतीय द्वारा प्रभारी मॉनिटरिंग सेल, प्रथम पक्ष के लोक अभियोजक श्री अमित पाठक, द्वितीय पक्ष के लोक अभियोजक श्री ओम प्रकाश शुक्ला कोर्ट मोहर्रिर का0 शिवपाल सिंह व थाना इटियाथोक के पैरोकार की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप आज दिनांक– 12.05.2025 को दोषी अभियुक्तों को 03–03 वर्ष का कारावास व प्रथम पक्ष को 19,000/– व द्वितीय पक्ष के अभियुक्तों को 12,000/– रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

अभियुक्तगण का नाम पता–

प्रथम पक्ष –

01. ननके पुत्र रामलाल नि0 दरियापुर हरदोपट्टी थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।
02. रामबक्श पुत्र दयाराम नि0 दरियापुर हरदोपट्टी थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।
03. ननकुन पुत्र लौटन नि0 दरियापुर हरदोपट्टी थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।
04. राजेन्द्र पुत्र रामदयाल नि0 दरियापुर हरदोपट्टी थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।
05. पप्पू पुत्र रामधीरज नि0 दरियापुर हरदोपट्टी थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।
06. पहलवान पुत्र रामलाल नि0 दरियापुर हरदोपट्टी थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।

द्वितीय पक्ष–

01. खुरचाली पुत्र बबई नि0 दरियापुर हरदोपट्टी थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।
02. हरीराम पुत्र पीताम्बर नि0 दरियापुर हरदोपट्टी थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।
03. प्रेमनाथ पुत्र लल्लन नि0 दरियापुर हरदोपट्टी थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।
04. मिट्ठू पुत्र रामदासे नि0 दरियापुर हरदोपट्टी थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।
05. पीताम्बर पुत्र गुलाम नि0 दरियापुर हरदोपट्टी थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।

अभियोग का विवरण–

01. मु0अ0सं0–409/2017, धारा 147,148,149,308,323,324,427,504,506 भादवि थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।
02. मु0अ0सं0–410/2017, धारा 147,148,149,323,504,506 भादवि थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 12.05.2025

थाना इटियाथोक पुलिस द्वारा गैर–इरादतन हत्या करने के वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त 01 अदद लाठी बरामद–

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी सदर श्री राजेश कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना इटियाथोक पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0–102/25, धारा 105 बीएनएस से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त अनिल कुमार मिश्रा उर्फ गल्लू पुत्र अयोध्या प्रसाद मिश्रा नि0 अमरीहा शाहपुर गनवरिया थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा को मियापट्टी मोड़ के पास से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 11.05.2025 को वादी श्री पृथ्वीनाथ तिवारी पुत्र श्री रामप्रसाद तिवारी, निवासी ग्राम चमैनिया, थाना इटियाथोक द्वारा लिखित तहरीर दी गई कि रात्रि लगभग 01रू00 बजे उनके बड़े भाई श्री चन्द्रशेखर तिवारी, जो मानसिक रूप से अस्वस्थ थे, घर से निकलकर ग्राम अमराडीहा स्थित श्री कृष्ण मोहन मिश्रा पुत्र श्री अयोध्या प्रसाद मिश्रा के घर चले गए। इस पर आक्रोशित होकर विपक्षीगण द्वारा चन्द्रशेखर तिवारी के साथ लाठी–डंडों से मारपीट की गई, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं। उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना इटियाथोक में चार नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया।आज दिनांक 12.05.2025 को प्रभारी निरीक्षक थाना इटियाथोक की टीम द्वारा अभियुक्त अनिल कुमार मिश्रा को मियापट्टी मोड़ के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त–

01. अनिल कुमार मिश्रा उर्फ गल्लू पुत्र अयोध्या प्रसाद मिश्रा नि0 अमरीहा शाहपुर गनवरिया थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–102/25, धारा 105 बीएनएस थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा जनपद गोण्डा।

बरामदगी–

01. घटना में प्रयुक्त 01 अदद लाठी।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

01. उ0नि0 शशांक मौर्य।
02. हे0का0 वीरेन्द्र कुमार मौर्य।
03. हे0का0 राघवेन्द्र प्रताप शाही।

मीडिया सेल, गोण्डा।